

## प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 18.12.2025

### **कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से नौकरी दिलाने का नाम पर धोखाधड़ी कर पैसा लेने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट गोरखपुर के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट के नेतृत्व में ०१ रंजीत रंजन मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०स० ५६३/२०२५ धारा ३१९(२),३१८(४), ३३६(३),३३८,३४०(२),३१६(२),३५१(३) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त अमित कुमार राव पुत्र स्व० रामदेव निवासी ग्राम अतरौली पोस्ट बगराई थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### **घटना का संक्षिप्त विवरण-**

वादी द्वारा तहरीर दिया गया कि अभियुक्त द्वारा रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसा लिया गया तथा कूटरचित अवैध नियुक्ति पत्र देकर धोखाधड़ी की गयी। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

अमित कुमार राव पुत्र स्व० रामदेव निवासी ग्राम अतरौली पोस्ट बगराई थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर

#### **गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-**

मु०अ०स० ५६३/२०२५ धारा ३१९(२),३१८(४),३३६(३),३३८,३४०(२),३१६(२),३५१(३) बीएनएस थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

#### **गिरफ्तारी की टीम-**

- ०१ रंजीत रंजन थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
- का० प्रेम कुमार उपाध्याय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
- म०का० वैशाली शर्मा थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
- म०का० सीमा यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर